(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 11/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई, 2018

सा.का.नि........ (अ.)- संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 713 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा :-

सारणी

क्र.सं.	**टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय**	**माल का विवरण**	**माल का आपूर्तिकर्ता**	**माल का प्राप्तकर्ता**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
7.	कोई भी अध्याय	प्रायटी सेक्टर लेडिंग सर्टीफिकेट	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति

(फाइल संख्या 354/124/2018-टीआरयू)

(प्रमोद कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 4/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 713(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 43/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 14 नवम्बर, 2017, जिसे सा.का.नि 1399(अ.) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।